वर्ष–2026

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 मैनुअल–13

रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड

के

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

(Particulars of recipients of concessions , permits or authorizations granted by it)

रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में भी अधिनियम प्रख्यापित नही है। विभाग द्वारा कृषकों/लाभार्थियों को योजनावार दी जा रही रियायतों/सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :–

1) **वृक्षारोपण विकास योजनाः–** योजना के अंतर्गत उत्पादन एवं उच्च गुणवत्ता युक्त रेशम भौज्य पौधों की आपूर्ति कृषकों को की जाती है। विभाग द्वारा संपन्न की जाने वाली विकास गतिविधियों में रसायनिक औषधियों का प्रयोग न्यूनतम करने व जैविक उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, कृषकों के निजी शहतूत पौधों की ट्रीमिंग–प्रूनिंग करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि कृषकों द्वारा अवशेष एवं अप्रयुक्त शहतूत पत्तियों द्वारा जैव–उर्वरक तैयार करते हुये पौधों हेतु इस उर्वरक का उपयोग किया जा सके, यह योजना सभी वर्ग के कृषकों हेतु संचालित की जा रही है।

2) **केन्द्रपोषित सिल्क समग्र–2 योजनाः–**यह योजना केन्द्र सहायतित है जिसके अंतर्गत प्रदेश में कृषकों को कीटपालन भवन निर्माण, कीटपालन, उपकरणों का क्रय, उच्च गुणवत्ता के विशुद्धिकारकों की आपूर्ति हेतु राज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। देय राज सहायता की शेयरिंग केन्द्रीय रेशम बोर्ड (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार) तथा रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा 80:10:10 की आनुपातिक दर से की जाती है। योजना प्रदेश के समस्त वर्गो के रेशम कृषकों हेतु संचालित है।

3) **उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशन का सृदृढ़ीकरणः–** प्रदेश की रेशम सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित रेशम कोये के विक्रय एवं मूल्य भुगतान हेतु प्रदेश स्तर पर शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड को–ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन (यू.सी.आर.एफ.) का गठन किया गया है। यू.सी.आर.एफ. द्वारा प्रदेश की समस्त रेशम सहकारी समितियों के कार्यो का नियमन एवं नियंत्रण का कार्य किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रदेश में रेशम कोया बाजारों (मण्डियों) का संचालन, विविध भण्डारण सामग्री

की आपूर्ति, माप–तौल एवं परिवहन एवं संरक्षण व्यय सुनिश्चित किया जाता है। योजना के कृषकों को सीधे अनुदान सहायता उपलब्ध न कराते हुये उनके उत्पाद के निस्तारण विकास एवं त्वरित मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु फेडरेशन को सक्षम बनाने में धनराशि का व्यय किया जाता है। योजना के अतंर्गत पंजीकृत रेशम समितियों को रेशम विकास कार्यो जैसे शहतूत, वृक्षारोपण, चाकी कीटपालन, विभागीय चॉकी उद्यानों में कर्षण कार्य, प्रूनिंग ट्रिमिंग आदि कोया उत्पादन व विपणन, रेशम धागाकरण इत्यादि विभिन्न कियाकलापों हेतु कार्यशील पूॅजी उपलब्ध कराई जाती है, योजना सभी वर्गो की समितियों हेतु संचालित है।

4) **रेशम कोया उत्पादनों को रेशम फसलों हेतु प्रोत्साहन सहायताः–** प्रदेश में रेशम कोया उत्पादकों को जो प्रायः निर्बल वर्गीय कृषक एवं खेतिहर मजदूर परिवारों से है, को रेशम कोया उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने तथा जीविकोपार्जन हेतु रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना का संचालन किया जा रहा है।